पत्र संख्या–3/क्यू.–27/07का....851/

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग ।
सभी विभागाध्यक्ष ।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना–15, दिनांक 14 फरवरी, 2008

विषय :– राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण/समायोजन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सरकार के विभागों/कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण/समायोजन हेतु इस विभाग के संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.2006 के तहत शर्तों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जा चुका है तथा परिपत्र संख्या 1633 दिनांक 03.06.2006 के द्वारा उन प्रक्रियाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सम्पन्न करने का निदेश जारी किया गया है । तत्पश्चात् इस विभाग के पत्रांक 2532 दिनांक 05.09.06 के तहत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम उमा देवी वाले मामले में दिनांक 10.04.06 को पारित आदेश {(2006) 4 SCC-1} की प्रतिलिपि भी परिचारित की जा चुकी है ।

अतः दैनिक वेतनभोगियों के समायोजन की कार्रवाई संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.03.2006 के साथ पठित माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सेक्रेटरी, स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य वाले मामले में दिनांक 10.04.06 को पारित आदेश में निर्धारित पैरामीटर के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के उप सचिव ।

D:\Dhar. Personnal\Sec.3\3-Q-22-07.doc